"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जून 2014—ज्येष्ठ 23, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, इकबाल पिता श्री बी. लाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी-अकबरी मंजिल, पंचशील एकाडमी स्कूल के पास, आदर्श नगर, बोरसी रोड दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मोहम्मद आसिफ इकबाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मोहम्मद आसिफ इकबाल पिता श्री बी. लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

इकबाल
पिता-श्री बी. लाल
निवासी-आदर्श नगर, बोरसी रोड दुर्ग
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

मोहम्मद आसिफ इकबाल
पिता-श्री बी. लाल
निवासी-आदर्श नगर, बोरसी रोड दुर्ग
तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामप्रकाश सैनी पिता श्री पूरनचंद सैनी, उम्र 55 वर्ष, निवासी-एच.आई.जी.-28, वीर सावरकर नगर, हीरापुर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम प्रकाश सिंग सैनी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे प्रकाश सिंग सैनी पिता श्री पूरनचंद सैनी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
रामप्रकाश सैनी पिता-श्री पूरनचंद सैनी निवासी-एच.आई.जी.-28, वीर सावरकर नगर, हीरापुर रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)	प्रकाश सिंग सैनी पिता-श्री पूरनचंद सैनी निवासी-एच.आई.जी.-28, वीर सावरकर नगर, हीरापुर रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कुसुम जॉन पति श्री प्रशांत लवली जॉन, आयु 33 वर्ष, निवासी-शांतिनगर वार्ड, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) की हूं. विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी कुसुम लता रात्रे पिता श्री एस. आर. रात्रे था. मेरा विवाह दिनांक 3-3-2004 को श्री प्रशांत लवली जॉन पिता श्री एम. जी. जॉन निवासी जगदलपुर के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती कुसुम जॉन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती कुसुम जॉन पति श्री प्रशांत लवली जॉन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कुमारी कुसुम लता रात्रे पिता-श्री एस. आर. रात्रे निवासी-जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)	श्रीमती कुसुम जॉन पति-श्री प्रशांत लवली जॉन निवासी-शांतिनगर वार्ड, नादन गली, मकान नं. 40, वार्ड नं. 25 जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती जैनब शेख पति श्री हसमत अली, आयु 32 वर्ष, निवासी-एम.आई.जी.-2/239, आमदी नगर, हुडको भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. विनिता पिता श्री जान विल्टन था. मेरा विवाह श्री हसमत अली के साथ इस्लामी तरीके से सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती जैनब शेख रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती जैनब शेख पति श्री हसमत अली के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. विनिता पिता-श्री जान विल्टन	श्रीमती जैनब शेख पति-श्री हसमत अली निवासी-एम.आई.जी. 2/239, हुडको भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रकाश नारायण गोंडाने आत्मज नारायण समाजी महार, जाति महार, उम्र 49 वर्ष, निवासी-मकान नं. 4-डी, स्ट्रीट-65, सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र के सभी शैक्षणिक व अन्य अभिलेखों में SUMEDH BOUDDH दर्ज हुआ है. मैं अपने पुत्र का उपनाम BOUDDH को परिवर्तित कर नया नाम व उपनाम SUMEDH GONDANE रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को SUMEDH GONDANE आत्मज प्रकाश नारायण गोंडाने के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

SUMEDH BOUDDH
आत्मज-प्रकाश नारायण गोंडाने
निवासी-मकान नं. 4-डी, स्ट्रीट-65, सेक्टर-6
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

SUMEDH GONDANE
आत्मज-प्रकाश नारायण गोंडाने
निवासी-मकान नं. 4-डी, स्ट्रीट-65, सेक्टर-6
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हरिनारायण ठाकुर पिता स्व. रामचरन ठाकुर, आयु 45 वर्ष, जाति गोंड़, निवासी-क्वा. नं.-11/ई, सड़क-31, सेक्टर-4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम हरिनारायण ठाकुर दर्ज है जबकि मेरे बी.एस.पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम हरिनारायण दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम ठाकुर जोड़कर नया नाम व उपनाम हरिनारायण ठाकुर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे हरिनारायण ठाकुर पिता स्व. रामचरन ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

हरिनारायण
पिता-स्व. रामचरण ठाकुर
निवासी-क्वा. नं. 11/ई, सड़क-31, सेक्टर-4, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

हरिनारायण ठाकुर
पिता-स्व. रामचरण ठाकुर
निवासी-क्वा. नं. 11/ई, सड़क-31, सेक्टर-4, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जोत सिंह रंधावा पिता श्री चन्दन सिंह रंधावा, उम्र 55 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 2/एफ, सड़क-11, सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे विभागीय दस्तावेजों, शासकीय अभिलेखों एवं पैन कार्ड में मेरा नाम जोत सिंह पिता श्री चन्दन सिंह रंधावा दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम रंधावा जोड़कर नया नाम व उपनाम जोत सिंह रंधावा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे जोत सिंह रंधावा पिता श्री चन्दन सिंह रंधावा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

जोत सिंह
पिता-श्री चन्दन सिंह रंधावा
निवासी-क्वा. नं. 2/एफ, सड़क-11, सेक्टर-6,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

जोत सिंह रंधावा
पिता-श्री चन्दन सिंह रंधावा
निवासी-क्वा. नं. 2/एफ, सड़क-11, सेक्टर-6,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 27 मई 2014

क्रमांक/मा.चि./883.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न दर्शित बीट हेमर राजनांदगांव के परिक्षेत्र दक्षिण मानपुर बोड़ेगांव बीट हेतु श्री सालिकराम नर्वासे, वनरक्षक को परिक्षेत्र अधिकारी, दक्षिण मानपुर के माध्यम से बीट हैमर गोल क्र. त 3 D G दिनांक 16-01-13 द्वारा जारी किया गया था. श्री सालिकराम नर्वासे, वनरक्षक से वन क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उक्त हेमर कहीं गुम हो गया.

गुमशुदा हेमर की खोज बीन किया गया लेकिन हेमर नहीं मिला. परिक्षेत्र अधिकारी, दक्षिण मानपुर का पृष्ठांकन क्रमांक/502 दिनांक 16-03-14 का अवलोकन करने के बाद निम्न आदेश पारित किया जाता है.

आदेश

आदेश क्र./220 राजनांदगांव, दिनांक 26-5-14

वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त बीट हैमर क्रमांक त 3 D G वनमण्डल के अभिलेख से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 200/- श्री सालिकराम नर्वासे, वनरक्षक से वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है तथा लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त बीट हैमर मिले तो उसे समीपस्थ पुलिस थाना या वन कार्यालय में जमा करें. कोई व्यक्ति उसे अवैधानिक रूप से रखे हुए या उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर उसे विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग लगाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

डॉ. अरूण प्रसाद,
(भा.व.से.)
वनमंडल अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014.